कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल–cfoddn.ukfs@gmail.com

पत्रांकः न–20/असुव्य (70)/2024 दिनांकः अगस्त 27, 2024

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
Doon International School
(ACADEMY BLOCK)
River Side Campus, Paundha
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– **स्कूल भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं0–81400044 दिनांक 23.08.2024 के द्वारा Doon International School (ACADEMY BLOCK), River Side Campus, Paundha, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 23.08.2024 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेगे। स्कूल भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः Doon International School (ACADEMY BLOCK), River Side Campus, Paundha, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 27 अगस्त 2024 से 26 अगस्त 2027 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक होगाः–

1. **प्रश्नगत भवन (एकेडमिक ब्लॉक–भूतल एवं अग्रेत्तर तीन तल) में निर्मित है। यदि भवन का उपयोग अन्य प्रयोजन (हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/होटल/गेस्ट हाउस आदि) हेतु किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।**
2. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैक तथा सीढ़ियॉ सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए। इमरजेन्सी साईन एक्जिट, पावर बैक अप के साथ रहेगी।
3. आपके शैक्षणिक भवन के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है। समय–समय पर स्थापित अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों का निरीक्षण/परीक्षण करते हुए सदैव कार्यशील रखेगे, तथा समय–समय पर मॉक ड्रिल करते रहेगे।
4. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नही हो सकती। अतः स्वामी/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
5. शैक्षणिक भवन के विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
6. शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
7. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्पयूटर आदि) में सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
8. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस–पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नही किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नही की जाएगी।

(हस्ताक्षर) 27/08/24
(वी0 डी0 यादव)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

(Signature)
Principal
Doon International School
Riverside Campus
Paundha, Dehradun (Uttarakhand)

DOON INTERNATIONAL SCHOOL R/C PAUNDHA DEHRADUN